



द्विवर्षीय बी.एड.पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु ऑनलाइन आबंटन कार्यक्रम 2020 की सूचना

राज्य के एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त एवं विश्वविद्यालयों से संबद्धता प्राप्त शासकीय/अनुदान प्राप्त अशासकीय/गैर अनुदान प्राप्त महाविद्यालयों में संचालित द्विवर्षीय बी.एड. पाठ्यक्रम 2020-21 में प्रवेश अभ्यर्थी के अर्हकारी परीक्षा (स्नातक स्तर) के प्राप्तांक के आधार पर तैयार मेरिट क्रम के अनुसार ऑनलाइन आबंटन के माध्यम से संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् द्वारा निम्नानुसार किया जा रहा है-

ऑनलाइन आबंटन कार्यक्रम (बी.एड.)

क्र	विवरण चरणवार	बी.एड.	
		दिनांक से	दिनांक तक
प्रथम चरण			
1	प्रथम चरण विकल्प फार्म ऑनलाइन जमा करने की तिथि।	26.11.20	05.12.20
2	दावा आपत्ति के लिए प्रथम चरण की आबंटन सूची जारी करना एवं दावा आपत्ति।	11.12.20	14.12.20
3	प्रथम चरण की आबंटन सूची जारी करना।	15.12.20	
4	प्रथम चरण में आबंटित छात्रों द्वारा महाविद्यालय में प्रवेश के लिए निर्धारित तिथि।	15.12.20	21.12.20
5	रिक्त सीटों की जानकारी	22.12.20	
द्वितीय चरण			
6	द्वितीय चरण विकल्प फार्म ऑनलाइन जमा करने की तिथि।	23.12.20	28.12.20
7	दावा आपत्ति के लिए द्वितीय चरण की आबंटन सूची जारी करना एवं दावा आपत्ति।	03.01.21	04.01.21
8	द्वितीय चरण की आबंटन सूची जारी करना।	05.01.21	
9	द्वितीय चरण में आबंटित छात्रों द्वारा महाविद्यालय में प्रवेश के लिए निर्धारित तिथि।	05.01.21	11.01.21
10	रिक्त सीटों की जानकारी	12.01.21	
तृतीय चरण			
11	तृतीय चरण विकल्प फार्म ऑनलाइन जमा करने की तिथि।	14.01.21	18.01.21
12	दावा आपत्ति के लिए तृतीय चरण की आबंटन सूची जारी करना एवं दावा आपत्ति।	22.01.21	23.01.21
13	तृतीय चरण की आबंटन सूची जारी करना।	25.01.21	
14	तृतीय चरण में आबंटित छात्रों द्वारा महाविद्यालय में प्रवेश के लिए निर्धारित तिथि।	25.01.21	30.01.21

नोट :-

1. अभ्यर्थी आवश्यक दस्तावेजों एवं प्रमाण के छायाप्रति को support.slcm@cgchips.in पर भेजकर दावा आपत्ति कर सकते हैं।
2. आबंटन प्रक्रिया सीटों की रिक्तता, मेरिट रैंक तथा अभ्यर्थियों के विकल्प के आधार पर किया जाता है। इस कारण आबंटन प्रक्रिया में सम्मिलित होने मात्र से सीटों के लिए अभ्यर्थी दावा नहीं कर सकते।

2. आवश्यक दिशा निर्देश -

आबंटन प्रक्रिया हेतु संक्षिप्त आवश्यक दिशा निर्देश निम्नानुसार हैं-

2.1. बी.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्रता :-

किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से त्रिवर्षीय स्नातक/स्नातकोत्तर या समकक्ष उपाधि में न्यूनतम 50% प्राप्तांक के साथ उपाधि प्राप्त अभ्यर्थी ही पात्र होंगे। इंजीनियरिंग वाले प्रकरण में न्यूनतम 55 प्रतिशत प्राप्तांक पात्रता के लिए आवश्यक होगा। छ.ग. राज्य के आरक्षित वर्ग (SC/ST/OBC/ महिला/EXSR/FF/दिव्यांग) के अभ्यर्थियों को बी.एड.प्रवेश नियम के अनुसार अर्ह परीक्षा के प्राप्तांक में 5 प्रतिशत की छूट का प्रावधान होगा। स्नातक में आनर्स वाले प्रकरण में अभ्यर्थी को स्नातक में एकीकृत प्राप्तांक 50 प्रतिशत होने पर ही विश्वविद्यालय द्वारा बी.एड. पाठ्यक्रम हेतु पात्रता दी जावेगी।

2.2 बी.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए मेरिट का निर्धारण कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्रवेश परीक्षाएं आयोजित कराया जाना संभव नहीं हो रहा था इस कारण शासन ने इस सत्र के लिए अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर तैयार मेरिट पर बी.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने का निर्णय लिया, तदनुसार शासन के आदेश दिनांक 23.07.2020 के आधार पर बी.एड. पाठ्यक्रम सत्र 2020-21 में प्रवेश प्रक्रिया एस.सी.ई.आर.टी. रायपुर द्वारा किया जा रहा है।

बी.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए अर्हकारी परीक्षा स्नातक है। इस कारण मेरिट क्रम का गणना अभ्यर्थी के स्नातक के प्राप्तांक के आधार पर की जायेगी। किसी अभ्यर्थी का स्नातक में प्राप्तांक 50 प्रतिशत से कम है तो उस अभ्यर्थी की पात्रता का निर्धारण स्नातकोत्तर परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर होगी। परन्तु मेरिट का निर्धारण स्नातक के प्राप्तांक के आधार पर ही होगा। मेरिट के निर्धारण में यदि स्नातक के प्राप्तांक समान है तो अधिक आयु वाले अभ्यर्थी मेरिट में आगे क्रम में होंगे और यदि आयु भी समान है तो अभ्यर्थी के नाम के वर्णक्रमानुसार मेरिट का निर्धारण किया जायेगा।

2.3 ऑनलाइन पंजीयन प्रवेश के लिए दस्तावेज जिनकी आवश्यकता होगी :-

- I. अर्हकारी परीक्षा की अंकसूची (स्नातक) एकीकृत प्राप्तांक की गणना हेतु स्नातक उपाधि प्राप्त है तो तीनों वर्षों की अंकसूची और यदि स्नातकोत्तर उपाधि के प्राप्तांक से पात्रता बन रही है तो स्नातकोत्तर के दोनों वर्षों के अंकों की प्रविष्टि होगी।
- II. जन्मतिथि हेतु 10वीं/12वीं की अंकसूची या सक्षम प्राधिकारी/संस्था से प्रदान किया गया जन्म प्रमाण पत्र में उल्लिखित जन्मतिथि की प्रविष्टि करनी है। बी.एड. पाठ्यक्रम के लिए अभ्यर्थी को 31 दिसम्बर 2020 की स्थिति में न्यूनतम 20 वर्ष का होना चाहिए।
- III. आरक्षित वर्ग व संवर्ग हेतु निर्धारित प्रारूप में सक्षम अधिकारी से जारी किया हुआ प्रमाण-पत्र।
- IV. छ.ग. शासन बी.एड. प्रवेश नियम 2006 के 3 (ख) के तहत छत्तीसगढ़ के स्थायी निवासी संबंधी प्रमाण पत्र। इसके अभाव में अभ्यर्थी को अखिल भारतीय कोटे के लिए आबंटन प्रक्रिया में भाग लेना होगा।

Q

3. ऑनलाइन काउंसिलिंग की प्रक्रिया :-

ऑनलाइन पंजीकरण (Online Registration) जहां पर इंटरनेट की सुविधा हो, अपनी सुविधानुसार घर पर, किसी सायबर कैफे में, किसी इंटरनेट पार्लर पर कर सकते हैं। कम्प्यूटर सिस्टम में chrome 22/Firefox अथवा उससे उच्च क्षमता वाले ब्राउजर का होना आवश्यक है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एवं विकल्प फार्म भरने हेतु जाने से पूर्व आपको निम्न दस्तावेज अपने साथ में अवलोकन हेतु रखने चाहिये, जैसे - 10+2 की अंकसूची, स्नातक/स्नातकोत्तर की अंक सूची (प्राप्तांक भरने के लिए व रोल नंबर प्रविष्टि के लिये) संस्थाओं एवं वहाँ उपलब्ध सीटों की सूची वेबसाइट के होम पेज पर भी दी जायेगी।

3.1 ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिये आपको निम्न चरण (steps) करने होंगे।

Step - 1

- 1- सबसे पहले उम्मीदवार संबंधित वेबसाइट <http://scert.cg.gov.in> में जाकर काउंसिलिंग के लिए निर्धारित साइट के लिंक का उपयोग कर अथवा सीधे <https://slcm.cgstate.gov.in/SCERTOnline/> में जायें।
- 2- स्क्रीन के दाहिने भाग में बी.एड. पाठ्यक्रम के लिए **Apply** का बटन क्लिक कर अपना पंजीयन करें। इस हेतु दिशा निर्देश चिप्स के साइट में भी दिये गये हैं। अगले स्क्रीन पर आपको Homepage पर कई जानकारियाँ दी गई हैं। जैसे - समस्त संस्थाओं की सूची, संस्थाओं की फीस की जानकारी एवं काउंसिलिंग प्रक्रिया की जानकारी आदि। इन समस्त जानकारियों का भी अवलोकन कर लें।
- 3- स्क्रीन के दाहिने भाग में New Registration पर क्लिक करें। एवं नियम व शर्तों को पढ़कर आगे बढ़ें। अगले स्क्रीन पर स्थायी राज्य चुने (Domicile State) अगले स्क्रीन पर Mobile Number Tab पर आपको अपना नंबर भर कर Verify Tab पर क्लिक करें, क्लिक करने के पश्चात् आपके द्वारा दिए गए मोबाइल नंबर पर OTP (One Time Password) प्राप्त होगा। उस अंक को OTP Box में भरकर Verify Tab पर क्लिक करें। अब आपका मोबाइल नंबर वाला Tab Verified हो गया। इसके बाद परीक्षा का नाम, परीक्षा बोर्ड, विश्वविद्यालय, उत्तीर्ण वर्ष, प्रवेश परीक्षा, रोल नंबर, जन्मतिथि एवं इसके नीचे आपको अपना Password Create करना होगा। आप अपने सुविधानुसार कोई भी पासवर्ड जिसे आप आसानी से याद रख सकें। पासवर्ड न्यूनतम 06 digit तथा न्यूनतम 01 अंक शामिल होना चाहिये Submit पर क्लिक करें।

टीप - 1. आवेदन करते समय आपके पास मोबाइल होना अनिवार्य है जिसमें **OTP (one time password)** भेजा जायेगा।

2. **Password** दिए गए प्रारूप के अनुसार ही रखें।

- 4- अगले स्क्रीन पर आपको अपना Login ID नंबर दिखाई देगा इसे सुरक्षित नोट कर लें, तथा इसे किसी को न बताये एवं प्रिंट आउट लेकर रख लें।
- 5- इसके पश्चात् Login Tab पर क्लिक करें।
- 6- इसके पश्चात् जो स्क्रीन खुलेगा उसमें आपको Login ID, आपके द्वारा सेट किया हुआ पासवर्ड और Captcha Code भरकर इन्टर करना होगा।
- 7- इसके पश्चात् नियम व शर्तों को पढ़कर आगे बढ़ें।
- 8- इसके पश्चात् आपको अपना Dashboard प्रदर्शित होगा।



Step - 2

1. इसके पश्चात् आपको अपनी व्यक्तिगत जानकारी तथा शैक्षणिक अर्हता की जानकारी भरनी होगी।
2. शैक्षणिक अर्हता की जानकारी प्रविष्ट करने के बाद स्नातक के अंतिम वर्ष/सेमेस्टर तथा यदि स्नातकोत्तर के प्राप्तांक के आधार पर पात्रता बनती है तो स्नातकोत्तर के अंतिम वर्ष सेमेस्टर की भी अंक सूची की स्केन कापी अपलोड करना होगा।
3. प्राप्तांक की जानकारी सावधानी पूर्वक प्रविष्ट करें क्योंकि यदि दस्तावेज सत्यापन के समय प्राप्तांक में भिन्नता पाई जाती है तो आपका उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
4. इसके पश्चात् अपना नवीनतम फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड करना होगा।

Step - 3

- I. काउंसलिंग सीट्स आबंटन प्रक्रिया में शामिल होने के लिए सभी वर्ग के लिए काउंसलिंग शुल्क 350/- की राशि जमा करना अनिवार्य होगा यह राशि आनलाइन SBI के **e-payment** के माध्यम से किसी भी बैंक के खाते से भरी जा सकती है।
- II. पेमेंट के पश्चात् होमपेज पर पुनः जाकर **Applicant Login** पर क्लिक कर **Login** करें एवं जिस संस्था में प्रवेश लेने के लिये आप विकल्प भरना चाहते है उसे **Select Tab** में जाकर चुन लें। आप जितने चाहें उतनी संस्थाओं दे सकते हैं।(कम से कम एक संस्था का नाम देना अनिवार्य है परंतु आपको सलाह दी जाती है कि अधिक से अधिक संस्थाओं का नाम दें)।
- III. शासकीय व अनुदान प्राप्त महाविद्यालय का विकल्प छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अभ्यर्थी ही दे सकते है।
- IV. निजी संस्था में यह बाध्यता नहीं है। चुनी हुई संस्थाओं के नाम उपर प्रदर्शित हो जायेंगे। आप कितने ही संस्थाओं का विकल्प भर सकते हैं परंतु आबंटन केवल आपके मेरिट क्रम के आधार, महाविद्यालयों में सीटों की उपलब्धता एवं आपके द्वारा दिये गये प्राथमिकता क्रम के आधार पर केवल एक ही संस्था के लिये होगा। इच्छानुसार सारे विकल्प भरने के बाद तब अंत में **Submit** में क्लिक करें।
- V. आपके द्वारा चुने हुए संस्थाओं की सूची दिखाई देगी। आपके द्वारा चुने हुये संस्थाओं के क्रम में ही आपको संस्था आबंटित होगी। अगर आप विकल्पों को बदलना चाहते है तो **Fillup/Modify Choices Tab** में जाकर बदल सकते है। अगर आप किसी एक विकल्प को हटाना चाहते है या सभी विकल्पों को हटाना चाहते है तो निर्धारित **Tab** पर क्लिक करें इससे पुराने क्रम मिट जायेंगे। अब उपरोक्तानुसार ही प्रक्रिया कर पुनः सभी विकल्पों का नवीन क्रम दे दें। जब आप आश्वस्त हो जायें कि अब क्रम सही है तो अंत में **Save** पर क्लिक करें। इसके पश्चात आप अपने विकल्पों को बदल सकते है और नये विकल्प जोड़ सकते है।

Step - 4

इसके पश्चात स्क्रीन पर बटन पर **Print Application And Option Form** क्लिक करें। इससे आपका फार्म प्रदर्शित होगा, जिसमें आपका फोटो और आपके द्वारा भरी गयी सभी जानकारियां एवं विकल्प भी रहेंगे। इसका प्रिंट लेना अनिवार्य है। यदि प्रिंट लेने के पश्चात आपको पुनः यह लगता है कि विकल्प के क्रम में कोई बदलाव किया जाना है तो यह बदलाव तब तक किया जा सकता है जब तक विकल्पों को लॉक नहीं कर दिया जाता। यदि आप

10

अपने विकल्प में बदलाव करेंगे तो आपका पुराना विकल्प वाला फार्म स्वमेव निरस्त हो जायेगा एवं नये विकल्प फार्म में सिर्फ Version No. बदल जायेगा। Version No. Application Form के प्रथम पृष्ठ पर उपर बीच में दिया रहता है। निर्धारित अंतिम तिथि तक आप कितने बार भी अपने विकल्प बदल सकते हैं। परंतु इसके पश्चात विकल्प बदलने की अनुमति नहीं रहेगी। जो विकल्प फार्म आपने अंतिम बार भरा है उसी विकल्प फार्म का अंतिम Version ही मान्य किया जायेगा। इसके पूर्व के विकल्प नहीं।

टीप :-

1. यह छात्र की जिम्मेदारी रहेगी कि जो भी विकल्प का क्रम भरा गया है वह उसके स्वयं के इच्छा एवं विवेक से भरा गया है। किसी प्रलोभन, दबाव या किसी के कहने पर नहीं भरा गया है। सलाह दी जाती है कि विकल्प भरने से पहले अपना संस्था का प्राथमिकता क्रम तैयार कर लें। जिससे विकल्प भरते समय ज्यादा कठिनाई न हो एवं ज्यादा समय न लगे।
2. यदि ऑनलाइन एप्लीकेशन फार्म में कोई त्रुटि होती है तो अभ्यर्थी उसके लिए स्वयं जिम्मेदार होंगे।

6. दस्तावेज परीक्षण करना (Document Verification) :- दस्तावेजों का प्रारंभिक व अंतिम परीक्षण आबंटित संस्था/महाविद्यालय द्वारा किया जायेगा।

7. सीट्स आबंटन :- निश्चित तिथि को अभ्यर्थियों के द्वारा दिये गये संस्थाओं/महाविद्यालयों के विकल्प एवं संस्थाओं/महाविद्यालयों में उपलब्ध सीट्स एवं अभ्यर्थी के स्नातक परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर तैयार की गई मेरिट रैंक के अनुसार महाविद्यालयों में सीट्स आबंटन किया जायेगा।

6.3 आबंटन की सूचना निम्नलिखित माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं।

- (e) SMS के द्वारा सूचना दी जायेगी। SMS प्राप्त नहीं होने की जिम्मेदारी SCERT की नहीं होगी।
- (f) अभ्यर्थी अपने Login में जाकर अपना ID एवं पासवर्ड डालकर अपना आबंटन पत्र देख सकते हैं एवं उसका प्रिंट निकाल सकते हैं। इस आबंटन पत्र को लेकर आबंटित संस्था में निर्धारित तिथितक प्रवेश प्राप्त करें।
- (g) वेबसाइट में अपना विकल्प फार्म क्रमांक Submit कर भी आबंटन देख सकते हैं। चयन की किसी प्रकार की सूचना डाक के द्वारा नहीं दी जाएगी।
- (h) अस्थाई आबंटन पत्र प्राप्त करने के पश्चात निर्धारित तिथि तक इस आबंटन पत्र व आवश्यक दस्तावेजों की मूलप्रति व छायाप्रति के साथ आबंटित महाविद्यालय में निर्धारित शुल्क जमा कर निर्धारित तिथि तक प्रवेश ले सकते हैं।

6.4 चयनित अभ्यर्थियों का महाविद्यालय में प्रवेश की प्रक्रिया :-

- a) अभ्यर्थी को आबंटित संस्था/महाविद्यालय में अस्थाई आबंटन पत्र एवं मूल दस्तावेजों के साथ प्रवेश लेने के लिए निर्धारित तिथि में उपस्थित होना होगा। प्रवेश के लिए निर्धारित तिथि तक प्रवेश न लेने पर अभ्यर्थी आबंटन प्रक्रिया से बाहर हो जायेंगे।
- b) संस्था/महाविद्यालय में प्रवेश के लिए अधिकृत अधिकारी द्वारा अभ्यर्थी के मूल दस्तावेजों को जांचकर सभी दस्तावेज सही पाए जाने पर निर्धारित प्रवेश शुल्क लेकर



उन्हें प्रवेश दिया जायेगा। अगर मूल दस्तावेजों में कोई कमी या त्रुटि पाई जाती है तो उसका चयन अस्वीकार कर दिया जायेगा जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। अभ्यर्थी यह भी सुनिश्चित करें कि संस्था/महाविद्यालय द्वारा उनके प्रवेश को ऑनलाइन अपडेट कर दिया गया है तथा वे ऑनलाइन प्रक्रिया द्वारा पेमेन्ट किया गया फीस की रसीद अनिवार्यतः प्राप्त करें। ऑनलाइन प्रक्रिया द्वारा पेमेन्ट किया गया फीस की रसीद नहीं होने की स्थिति में प्रवेश अमान्य माना जायेगा।

- c) अभ्यर्थी द्वारा स्नातक के प्राप्तांक में दी गई जानकारी का सत्यापन उनके अंकसूची से किया जायेगा। अंतर पाये जाने पर अभ्यर्थी का आबंटन निरस्त होगा। इसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होंगे।
- d) संस्था/महाविद्यालय अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रवेश शुल्क के अतिरिक्त किसी भी प्रकार का अन्य शुल्क न लें। अतिरिक्त शुल्क लेने की शिकायत प्राप्त होने पर संस्था/महाविद्यालय के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
- e) चयनित अभ्यर्थी यदि प्रवेश के लिए निर्धारित अवधि में संस्था/महाविद्यालय में प्रवेश नहीं लेता है तथा चयन निरस्त नहीं करता है तो वह ऑनलाइन प्रक्रिया से बाहर हो जाएगा। अभ्यर्थी अपने Login में जाकर अपना चयन एक बार निरस्त कर सकता है।
- f) प्रवेश लेने के पश्चात् संस्था/महाविद्यालय परिवर्तन या आपसी स्थानान्तरण का कोई प्रावधान नहीं है।

6.5 अगले चरण के प्रक्रिया के संबंध में :-

- I. यदि अभ्यर्थी आबंटित महाविद्यालय में प्रवेश नहीं लेना चाहता तो वह एक बार अपने Login में जाकर स्वयं अपना चयन निरस्त कर सकता है। ऐसे अभ्यर्थी के आवेदन को अगले चरण में अभ्यर्थी द्वारा दिये गये अन्य विकल्प के साथ आबंटन के लिए विचार किया जायेगा। यह सुविधा केवल एक बार प्राप्त होगा तथा इसमें अभ्यर्थी को कोई शुल्क नहीं देना होगा।
- II. यदि अभ्यर्थी अपना आबंटन/चयन निरस्त कर दिये गये महाविद्यालय के विकल्प को परिवर्तन करना चाहता है या महाविद्यालय का विकल्प बढ़ाना चाहता है तो वह अगले चरण में पुनः आबंटन फार्म अपने login में जाकर शुल्क के साथ जमा करेंगे।
- III. जिन अभ्यर्थियों का चयन किसी चरण में नहीं हुआ है और वे दिये गये महाविद्यालयों के विकल्प में परिवर्तन नहीं करना चाहते हैं ऐसे अभ्यर्थी को अगले चरण में पुनः विकल्प फार्म भरने की आवश्यकता नहीं उनके आवेदन को निःशुल्क अगले चरण में आबंटन के लिए विचार किया जायेगा। परन्तु ऐसे अभ्यर्थी यदि अपना विकल्प बदलना चाहते हैं तो वे अपने login में जाकर पुनः शुल्क भुगतान कर विकल्प फार्म में अपना विकल्प बदल सकते हैं।
- IV. जो अभ्यर्थी प्रक्रिया में **Not Reported** या किसी अन्य कारण से बाहर हो गये हैं वे अगले चरण में दोबारा शुल्क भुगतान कर पंजीयन कराना होगा।
- V. आबंटित महाविद्यालय में प्रवेश लेने के बाद अभ्यर्थी पुनः पंजीयन या विकल्प फार्म नहीं जमा कर सकेगा।

टीप:-

1. किसी भी विवाद की स्थिति में संचालक, एस.सी.ई.आर.टी.रायपुर का निर्णय अंतिम व बाध्यकारी होगा।
2. बी.एड. पाठ्यक्रम में शासकीय संस्थाओं में सीटों का आरक्षण शासन के वर्तमान में लागू नियम के तहत होगा।
3. सत्र 2020-21 में प्रवेश हेतु बी.एड. पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु प्रचलित प्रवेश नियमों में कोविड-19 की विश्वव्यापी महामारी एवं संक्रमण के खतरे को दृष्टिगत रखते हुए आंशिक परिवर्तन किया गया है तथा सीटों का आबंटन अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांकों के मेरिट क्रम बनाकर किये जाने का प्रावधान रखा गया है।
4. आबंटन प्रक्रिया तीन चरणों में होगी।
5. विस्तृत प्रवेश प्रक्रिया, नियम व शर्तें व शुल्क तथा महाविद्यालयों की सूची SCERT रायपुर के वेबसाइट <http://scert.cg.gov.in> में अभ्यर्थी देख सकते हैं। अभ्यर्थियों को यह सलाह दी जाती है कि वे पंजीयन करने के पूर्व इन नियमों, शर्तों का अध्ययन अवश्य कर लें तथा यह सुनिश्चित कर लें कि वे इन पाठ्यक्रमों के लिए पात्र हैं।
6. अभ्यर्थी बी.एड. पाठ्यक्रम के लिए पंजीयन का विकल्प फार्म SCERT के वेबसाइट में उपलब्ध आनलाइन जाकर CHIPS के वेबसाइट के लिए दिये गये लिंक का उपयोग कर या चिप्स Website <https://slcm.cgstate.gov.in/SCERTOnline/> में सीधे निर्धारित तिथियों में कर सकेंगे।
7. पूछताछ व दावा आपत्ति अभ्यर्थी ईमेल support.slcm@cgchips.in में तथा पूछताछ के लिए दूरभाष क्रमांक 7470470609 में संपर्क कर सकते हैं।

(डी.राहुल वेंकट भा.प्र.से.)

संचालक

एस.सी.ई.आर.टी., छ.ग. रायपुर